

सुरवेय ८८
घाटा ८८, १८८, २००

५/२५

पत्रावली पेश हुई। वकील महाकाश उप.।

पत्रावली दिनांक ३०.६.१८५

उपखण्ड अधिकारी
अराई

पत्रावली दिनांक २५.६.१८५
पर पत्रावली दिनांक १८.६.१८५

१८/१८५ पत्रावली पेश हुई। वकील महाकाश उपरिधत्त।
P.O. सहाय्य कार्य/सावधान्य/रिप/अवकाश
दिनांक १९/९/१८५

११८/१८५
सुरवेय
१८/१८५

वकील के वकील के धारिता पर पर्यन्त
काय पैल हुई। वकील का वकील
वस्तु वाद से आगे नहीं चलता।
ही तथा वकील के नोटिस
में वस्तु वाद से शकरीय शकरीय
ही। वकील वकील के धारिता
पर पर वस्तु वाद से शकरीय शकरीय
जाता है। पत्रावली पर्यन्त धारिता
नष्ट सं सं है।

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)